न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 38/2024 बउनवानी सुरेश चन्द गर्ग बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार पुत्र श्री बाबूलाल गर्ग निवासी ई–5 केशव नगर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2024/88

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.8.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 20.6.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को दिनांक 23.7.2023 को दिये गये प्रार्थना पत्र पर आपके द्वारा कीं गयी कार्य व मौका रिपोर्ट की नकल की प्रमाणित प्रति। 2. गिरदावर हल्का बहरावण्डा खुर्द श्री हेतराम मीना द्वारा खसरा नम्बर 876 ढाणी गंगानगर का दिनांक 3.7.2023 का बनाकर दिया गया रैफरेन्स की प्रमाणित प्रति जिसपर आप द्वारा की गयी कार्यवाही की नकल। दो प्रतियों में। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/ सूकाअ /2024/161 दिनांक 23.8.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.6.2024 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 144 दिनांक 16.8.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 20.6.2024 के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 144 दिनांक 16.8.2024 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (डॉ0खुशाल यादव) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:24:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner